

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या
12/30/2016

प्रवेश तिथि
29-07-2016

निर्णय दिनांक
20-12-2018

01- जगमाल यादव पुत्र गंगाराम यादव जाति अहीर निवासी ग्राम बिजोरावास तहसील बहरोड़, जिला अलवर राज० बजर्ये मुख्तयारआम ओमप्रकश यादव पुत्र श्री जगमाल यादव पुत्र श्री गंगाराम यादव जाति अहीर निवासी ग्राम बिजोरावास तहसील बहरोड़, जिला अलवर राज०

अपीलाण्ट

बनाम

01- तहसीलदार बहरोड़ जिला अलवर

रेस्पौडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार बहरोड़
दिनांक 08.07.2016 अन्तर्गत धारा 91 भू
राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 05/2015

उपस्थित:-

01-श्री आर. पी. यादव

-वकील अपीलाण्ट

-निर्णय:-

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार बहरोड़ के आदेश दिनांक 08.07.2016 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम बिजोरावास की चारागाह भूमि के आराजी खसरा नम्बर 584 रकबा 0.20 है० पर अवैध कब्जा करने पर की गई बेदखली आदेश से व्यथित होकर की गई है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ० को जर्जे सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर हाल 584 रकबा 18.11 है० साबिक खसरा नम्बर 469 रकबा 66 बीघा 7 बिस्वा ग्राम बिजोरावास तह० बहरोड़ में स्थित है। जिस आराजी के साथ लगती हुई अपीलार्थी की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर हाल 46 रकबा 0.42 है० जिसके साबिक खसरा नम्बर 27 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा ग्राम बिजोरावास तह० बहरोड़ में स्थित है। उक्त आराजी पर खेती कार्य के उपकरण रखने के लिए मकानात् का निर्माण काफी समय पूर्व करवाया गया था जो मौके पर आज भी मौजूद है। बंदोबस्त संवत् 2042 में राजस्व कर्मचारियों द्वारा साबिक खसरा नम्बर 27 रकबा 1 बिघा 17 बिस्वा रकबे को कम कर नया नम्बर 46 रकबा 0.42 है० कर दिया गया। जिन रकबों को दुरुस्त कराने के लिए अपीलार्थी द्वारा चाराजोही करते हुए अपना वाद दायर किया हुआ है, जो वर्तमान में विचाराधीन है। अपीलार्थी के पिता की खातेदारी काश्तकारी की आराजीयात में से कम किए गए रकबे को राजस्व विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा मनमाने तौर पर खिलाफ कानून व खिलाफ रिकार्ड खसरा नम्बर 584 के रकबे में शामिल करते हुए उस का रकबा राजस्व रिकार्ड में बढ़ा दिया गया अपीलार्थी के पिता द्वारा अपनी रिहायश व कृषि उपकरणों व मवेशियान को रखने हेतु मकानात् को उक्त खसरा नम्बर 584 में दर्ज कर दिया गया। जिस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को खसरा नम्बर 584 का अतिक्रमी घोषित करते हुए बेदखली एवं 50 गुणा लगान से दण्डित करने के आदेश दिनांक 27.03.2014 को फरमाये गये। जिस पर अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा में अपील पेश की गई। जिसका निर्णय दिनांक 10.06.2015 को अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त फरमाते हुए प्रकरण को रिमाण्ड करते हुए आदेशित किया गया कि मिलान क्षेत्रफल व मौका जांच के आधार पर यह सुनिश्चित करे कि अपीलांट का कब्जा किस भूमि पर है। वह चारागाह का हिस्सा है अथवा नहीं। पुनः मौका एवं रिकार्ड के आधार पर जांच कर तथा अपीलांट को सुनवाई का मौका देकर नियमानुसार निर्णय पारित करें। जिस पर अधीनस्थ नयायालय द्वारा आक्षेपित आदेश दिनांक 08.07.2016 का अपीलार्थी को आराजी खसरा नम्बर 584 रकबा 0.20 है० वाके ग्राम बिजोरावास तह० बहरोड़ का अतिक्रमी घोषित कर बेदखली करने की आज्ञा फरमाई। जिस आदेश से व्यथित होकर यह अपील निम्न तथ्यों पर पेश की गई है कि आक्षेपित आदेश अधीनस्थ न्यायालय काण्ट्रेरी वू लॉ एवं अगेन्स्ट दी प्रोसीजर अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को जारी किये गये नोटिस का जवाब देते हुए अपीलार्थी द्वारा यह

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(अलवर) अलवर (राज०)

निवेदन किया गया कि उपरोक्त प्रकरण का निर्णय जमीन के साबिक रिकार्ड के अनुसार मौके पर नापतौल कर किया जावे। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश में यह अंकन किया गया है कि रिपोर्ट पटवारी हल्का मुताबिक प्रकरण की मिसल 2020 से 2042 मौके की जांच की जावे। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर कोई गौर नहीं किया गया कि 2020 की जमाबंदी में साबिक खसरा नम्बर 27 कुल रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा अंकित है। जिसके हाल खसरा नम्बर 46 रकबा कुल 0.42 कायम हुए है जो रकबा कम कर दिया गया तथा उस कम किए गए रकबे को खसरा नम्बर 584 में सम्मिलित कर दिया गया है। जिससे आक्षेपित आदेश अपास्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 08.07.2016 अपास्त फरमाया जावे।

हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा निवेदन किया गया है कि अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य का मौका दिये बिना निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट का मकान आबादी भूमि में है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह भी जांच नहीं की गई है कि संवत् 2020 के मिलान क्षेत्रफल का रकबा व वर्तमान रकबे में अन्तर का कारण क्या रहा है तथा साबिक खसरा नम्बर 27 का कुल रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा के नये नम्बरों में खसरा नम्बर 46 का कुल रकबा 0.42 है 0 किया गया है जो रकबा कम किया गया है। उक्त कम रकबा कहा गया इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलांट तहसीलदार बहरोड़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलांट को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर व उक्त मिलान क्षेत्रफल अनुसार आराजी की नाप-काँच करवाकर विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 20-12-2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(ओपीओमैन)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)